



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: वमखुवि/स्था0/24/1949

दिनांक: 23/10/2024

पुनर्नियुक्ति हेतु सूचना (अशैक्षणिक)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के **क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर एवं उदयपुर** में निम्नांकित रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त अशैक्षणिक कार्मिकों से कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ17(10)डीओपी/ए-11/94 जयपुर दिनांक 28-3-2023 एवं संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त आदेश/पत्र क्रमांक प.14(10)शिक्षा-4/2021 पार्ट जयपुर दिनांक 15.03.2024 के तहत समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तक, के लिए पुनर्नियुक्ति के आधार पर तृतीय चरण में सेवाएं लिये जाने हेतु इस विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कार्मिकों, अन्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय विभागों से सेवानिवृत्त कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	पद का नाम	समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	लिपिक ग्रेड-प्रथम	1	रिक्त पद के विरुद्ध
2	लिपिक ग्रेड-द्वितीय	3	रिक्त पद के विरुद्ध

उपरोक्त वर्णित पदों के लिए सेवानिवृत्त कार्मिक जोकि राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ17(10)डीओपी/ए-11/94 जयपुर दिनांक 28-3-2023 में वर्णित शर्तों एवं विश्वविद्यालय सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवाएँ देने के लिए इच्छुक है। ऐसे अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र मय अपने नियोक्ता द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति, अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.)/पे-स्लिप एवं पी.पी.ओ. आदि की सत्यापित प्रतियों के साथ डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः दिनांक 06.11.2024 को प्रातः 11.00 बजे तक कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड़, कोटा (राज0) 324010 को प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.vmou.ac.in पर उपलब्ध करवाई जायेगी। समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार पुनर्नियुक्ति करने का अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा तथा विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्राथमिकता दी जावेगी।


कुलसचिव

सेवानिवृत्त कार्मिकों के सम्बन्ध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति आधार पर सेवाएं लेने के लिये आवेदन का प्रारूप

कुलसचिव
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।

समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदित पद का नाम _____

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम : _____
2. पिता का नाम : _____
3. जन्म तिथि : _____
4. अर्हताएं/योग्यता : _____
5. मूल विभाग का नाम : _____
6. सेवानिवृत्त के पूर्व धारित पद : _____
7. अनुभव : _____

क्र.स.	पदनाम	कार्यरत अवधि का विवरण		कुल सेवा अवधि	विभाग/संस्थान का नाम	विशेष विवरण
		कब से	कब तक			

8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बेण्ड वेतन +ग्रेड पे)/पे-लेवल (एलपीसी/पे स्लिप की प्रति सलंगन है) : _____
 9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ प्रति सलंगन है) : _____
 10. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) : _____
 11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (सलंगनानुसार) : _____
- सलंगन :- उपरोक्तानुसार।

(सेवानिवृत्त कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नाम : _____

पता _____

मोबाईल नं० _____

सेवानिवृत्ति कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

मैं _____पुत्र _____निवासी _____
विभाग/संस्थान _____ में _____ के पद पर कार्यरत रहा हूँ /रही हूँ
तथा दिनांक _____को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ17(10)डीओपी/ए-11/94 जयपुर दिनांक 28-3-2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपनी सहमति और शर्तों के अनुसरण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा/क्षेत्रीय केन्द्र _____ में _____पद पर समेकित पारिश्रमिक के आधार पर अपनी सेवायें देने हेतु सहमत हूँ तथा वचन देता हूँ कि राज्य सरकार एवं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा के समस्त नियमों एवं शर्तों से आबद्ध रहूँगा और इनका पालन करूँगा।

स्थान:-

दिनांक _____

सेवानिवृत्त कर्मचारी के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं० 1 से 11 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती/सुश्री _____पुत्र /पुत्री/पत्नी _____जो सेवानिवृत्ति से पूर्व _____पद पर विभाग में कार्य कर रहा था/थी, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती/सुश्री _____की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती/सुश्री _____रु० _____मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन एवं ग्रेड पे)/पे-लेवल आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती/सुश्री _____अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और सेवानिवृत्ति के समय उक्त के विरुद्ध कोई विभागीय जांच /आपराधिक मामला लम्बित नहीं है।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 17(10)डीओपी/ए-11/94

जयपुर, दिनांक :-

28 MAR 2023

—:परिपत्र:—

विषय:—सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम-164A में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 01.12.2015 के अनुक्रम में इस विभाग के द्वारा परिपत्र दिनांक 08.02.2018 जारी किया गया था।

वित्त विभाग की आई.डी. 212300159 दिनांक 09.03.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में उपरोक्त परिपत्र के अधिक्रमण (Supersession) में राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों, राजकीय संस्थाओं आदि में जहां भी सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाये हैं या रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब की संभावना है वहां तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता के दृष्टिगत जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवाएं लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:—

राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों तथा राजकीय संस्थाओं की स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने में से, जो भी पहले हो, तक की कालावधि के लिए प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से की जा सकेगी, जिसे पद नहीं भरने के कारण/औचित्य दर्शाते हुए, प्रशासनिक विभाग की आज्ञा/पूर्व अनुमति से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित (Extend) किया जा सकेगा।

दो वर्ष के बाद समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि कार्मिक एवं वित्त विभाग की पूर्वसहमति से ही की जा सकेगी।

उक्तानुसार समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि करते समय निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेगी :-

- (1) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उन पदों के विरुद्ध ही ली जा सकेंगी जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त हैं। इस हेतु प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पश्चात् राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक सचिव, अधीनस्थ, मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष तथा जिला/स्थानीय स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393



- (2) किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी (शारीरिक रूप से/चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही) से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।

परन्तु उच्चतर पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अध्यक्षीन ली जा सकेगी।

- (3) केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- (4) सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस कैडर से सेवानिवृत्त हुआ है उस ही कैडर में रिक्त पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
- (5) सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे।
- (6) सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न परिशिष्ट-‘क’ के अनुसार होगी।
- (7) सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाएं लिए जाने हेतु परिशिष्ट-‘ख’ पर संलग्न प्रारूप के अनुसार आदेश जारी किए जावें।
- (8) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपाजित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
- (9) ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (10) समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यक्षीन होगी।
- (11) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।
- (12) इस प्रकार प्रशासनिक विभाग के स्तर से एक वर्ष हेतु समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति किए जाने एवं तत्पश्चात आगे एक वर्ष की अभिवृद्धि किए जाने के पश्चात् भी यदि ऐसे कार्मिक की अवधि में और अभिवृद्धि की आवश्यकता महसूस होती हो तो कार्मिक/वित्त

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved



विभाग को तत्संबंधी प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी होगा।

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/विभागाध्यक्ष।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1/ख-2) विभाग।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393



परिशिष्ट-क

सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं पर देय समेकित पारिश्रमिक राशि:-

क्र. सं	पे-लेवल	परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के आधार पर समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रुपयों में)	दिनांक 01.04.2023 से समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रुपयों में)
1.	L-1	6400/-	12200/-
2	L-2	6500/-	12400/-
3	L-3	7000/-	12600/-
4	L-4	7400/-	13200/-
5	L-5	9100/-	14400/-
6	L-6	9100/-	14800/-
7	L-7	9100/-	15500/-
8	L-8	10400/-	18100/-
9	L-9	10400/-	19800/-
10	L-10	12000/-	23300/-
11	L-11	13400/-	26100/-
12	L-12	17400/-	30600/-
13	L-13	19500/-	36600/-
14	L-14	19500/-	38700/-
15	L-15	21000/-	41900/-
16	L-16	21900/-	46400/-
17	L-17	23200/-	49000/-
18	L-18	24600/-	52000/-
19	L-19	25400/-	55100/-
20	L-20	29000/-	61300/-
21	L-21	40100/-	84900/-
22	L-22	42300/-	89500/-
23	L-23	46600/-	101300/-
24	L-24	47600/-	102700/-

नोट :-1. नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिए उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से संबंधित सेवा के निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे/पे-लेवल से ए.सी.पी.योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार समेकित पारिश्रमिक देय होगा।

2. उक्त संशोधित पारिश्रमिक का लाभ पूर्व से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिक को भी देय होगा।

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393

